न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 129/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पुनमचन्द पुत्र धीराराम जाति घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. तीजादेवी पत्नी चन्दाराम जाति घांची निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार भूमि धारक सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित धारा आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 विरूद्ध निर्णय राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं0 67/2024 बअनवान प्रार्थी तीजादेवी बनाम अप्रार्थी तहसीलदार सोजत निर्णय दिनांक 30.05.2024

उपस्थितिः–

01. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

दिनांक :– 26/03/2025

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 तीजादेवी द्वारा श्रीमान के न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया था कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खसरा संख्या 6399/594 रकबा 0.7900 हैक्टर पूर्व के खसरा संख्या 594 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी कर मुटाम लगवाया जावे, जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 30/05/2024 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को निर्देशित किया कि स्वयं के नैतृत्व में भू.अ.नि., पटवारी सम्बंधित पटवारी की संयुक्त टीम गठित कर पत्थरगढ़ी की जावे, उक्त निर्णय से व्यथित होकर श्रीमान के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र ठोस व मजबूत आधारो पर पेश है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 574, 575, 576 तथा 581 से 589, 593 से 595 में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा खातेदारी हक हकूक का एवम् मौके पर कब्जा भी 1/8 हिस्से का प्रार्थी के पास में है। उक्त खातेदारी कृषि भूमि के सम्बंध में श्रीमान न्यायालय द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 204/2011 (2016/2011) बअनवान डगराई बनाम मिसरू में दिनांक 11/07/2022 को बिना प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अंतिम डिक्री पारित की थी, उक्त अंतिम डिक्री व निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, पाली के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अपील संख्या 09/2024 हैं जिसमें वाद सुनवाई दिनांक 27/02/2024 को न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 11/07/2022 बअनवान डगराई बनाम मिश्ररू के सम्बंध में जो आदेश पारित किया था, उक्त आदेश की पालना व प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित कर दिया था एवम् उक्त स्थगन आज भी कायम एवम् प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 27/02/2024 को जो स्थगन आदेश पारित किया था, उसकी भली भांति जानकारी थी, क्योंकि प्रार्थी स्वयं द्वारा उक्त स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार महोदय सोजत को दिनांक 01/03/2024 को दी थी, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार भूमिधारक सोजत स्वयं द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में पेन्सिल नोट लगा कर यह टिप्पणी की थी कि "नोट संख्या 27 से दिनांक 01/05/2024 खसरा संख्या 6399/594 सभी काश्तकार पर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष वाद प्रक्रियाधीन होने से श्रीमान के पत्रांक / RAA/24/476 दिनांक 29/02/2024 की पालना में कार्यालय तहसीलदार भू.अ. सोजत के आदेश क्रमांक 24/1085 दिनांक 30/04/2024 से उक्त खाते पर स्थगन का पेन्सिल नोट दर्ज किया गया, अग्रिम आदेश तक उक्त यथास्थिति से बना रहेगा नोट लगा हुआ है।" इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये स्थगन आदेश की बखूबी जानकारी थी, उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 व पटवारी, आर.आई. पुलिस थाना सोजतसिटी से मिलावट कर श्रीमान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/05/2024 की पालना दिनांक 19/06/2024 को राजस्व टीम गठित कर मौके पर प्रार्थी को मौके पर कब्जे से बेदखल करने की नियत से अन्य भू–माफियाओं के साथ साठ गाठ कर मौके

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पर पूर्व के खसरा संख्या 594 की कृषि भूमि में तारबन्दी इत्यादि कर दी एवम् प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि से पुलिस का डर बता कर उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया, एवं प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को अवैध लाभ पंहुचाने एवं कब्जा करने की नियत से प्रार्थी के लगे हुए गेट को भी तोड दिया, उक्त स्थगन आदेश को छुपाये बाले बाले प्रार्थी को नुकसान कारित करने की नीयत से श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आदेश दिनांक 30 05 2024 प्राप्त किया है, जो आदेश विधि की दृष्टिकोण से प्रतिकुल होने के कारण शुन्य है, जिसको कानूनन पूनः सुनवाई का अवसर देकर रिव्यू किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह लिखना गलत है कि पद में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा खातेदारी, कब्जाकाश्त का आता है तथा 1/6 हिस्से पर कब्जा आया हुआ स्थित है, जबकि पद में वर्णित कृषि भूमि का श्रीमान के न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवाड़ा किया जाकर अलग अलग हिस्से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम किया गया, जिसके अनुसार खसरा संख्या 6393/594 रकबा 0.7900 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में रही, जिस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा आया हुआ स्थित है। प्रार्थी ने राजस्व मूल वाद संख्या 204/2011 में जानबुझकर किसी प्रकार की कोई चारा–जोरी नहीं की। प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में किसी भी प्रकार का न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। न ही उक्त अपील में अप्रार्थी संख्या 1 कतई पक्षकार नही है और न ही अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि विवादित है। इसलिये राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये जाने वाला आदेश अप्रार्थी संख्या 1 पर कतई बाधित नही है तथा दिनांक 30/04/2024 से उक्त खाते पर स्थगन का पैंसिल नोट दर्ज किया गया या नहीं इस बावत् अप्रार्थी संख्या 1 को कोई जानकारी नहीं है। स्थगन आदेश होने के आधार पर आदेश दिनांक 30/05/2024 को रिव्यू किये जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा श्रीमान की पत्रावली की कार्यवाही पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रार्थी का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा आया हुआ स्थित नहीं है और न ही प्रार्थी खसरा सं0 6399/594 का खातेदार है और न ही प्रकरण में प्रार्थी बतौर पक्षकार है। प्रार्थी द्वारा पूर्व के पदो में वर्णित तथ्यो को पुनः दौराया गया है। पद में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा बंटवाड़ा किया जाकर अलग अलग खसरा नम्बर कायम किये जा चुके है तथा पद में वर्णित खसरा नम्बर आज की तारीख में अस्तीत्व में नही है। इसलिये उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर स्थगन नोट अंकित किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उपरोक्त कृषि भूमि का सीमा चिन्हह्न अंकित कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। सीमाचिन्ह किये जाने से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के मौके की स्थिति परिवर्तन नही की गई है। आज भी पूर्व की स्थिति मौके पर कायमसुदा है। खसरा संख्या 6399/594 की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है, जिसका उपयोग व उपभोग अप्रार्थी संख्या 1 बिना किसी बाधा व रोकटोक के करती आ रही है। इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बंध में पारित आदेश दिनांक 30/05/2024 को रिव्यू करवाने का कोई कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा पद में वर्णित तथ्यों के आधार पर आदेश दिनांक 30/05/2024 को कतई रिव्यू नहीं किया जा सकता है।

विशेष उजरात :– सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा संख्या 6399/594 रकबा 0.7900 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि है, जिसका सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आवेदन श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर श्रीमान के न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व राजस्व रेकर्ड की जॉच किये जाने के पश्चात् उक्त आदेश दिनांक 30/05/2024 को पारित किया, जो आदेश कानूनन है। आदेश में ऐसी किसी प्रकार की कोई गणितिय त्रुटी व लिपिकिय त्रुटी नहीं है, जो प्रथम दृष्टया देखने मात्र से प्रतित होती है, इसलिये आदेश दिनांक 30/05/2024 को कतई रिव्यू नही किया जा सकता। दिनांक 30/05/2024 को पारित आदेश की पालना सुनिश्चित की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि का माप व सीमांकन कर पत्थरचिन्ह लगाये जा चुके है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारण योग्य नहीं रह जाता। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी न तो पक्षकार है और न ही प्रार्थी की कृषि भूमि विवादित है। इसलिये प्रार्थी को आदेश दिनांक 30/05/2024 को रिव्यू करवाने का कोई कानूनन हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। श्रीमान द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/05/2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नहीं

उपखण्ड अधिकारी,

की गई, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष उजरात पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि के संबंध में राजस्व मूल वाद संख्या 204/2011 (2016/2011) बअनवान डुगराई बनाम मिसरू में दिनांक 11/07/2022 को बिना प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अंतिम डिक्री पारित की थी, उक्त अंतिम डिक्री व निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, पाली के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अपील संख्या 09/2024 हैं जिसमें वाद सुनवाई दिनांक 27/02/2024 को न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 11/07/2022 बअनवान डुगराई बनाम मिश्ररू के सम्बंध में जो आदेश पारित किया था, उक्त आदेश की पालना व प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित कर दिया था एवम् उक्त स्थगन आज भी कायम एवम् प्रभावी है। उक्त स्थगन आदेश की जानकारी के बावजूद अप्रार्थी सं0 01 द्वारा श्रीमान के न्यायालय में प्रा0पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन/पत्थरगढी करने का आदेश दिनांक 30.05.2024 प्राप्त कर लिया। जिसमें प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। अतः प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश दिनांक 30.05.2024 को रिव्यू किया जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ने व्यक्त किया कि आदेश में ऐसी किसी प्रकार की कोई गणितिय त्रुटी व लिपिकिय त्रुटी नहीं है, जो प्रथम दृष्टया देखने मात्र से प्रतित होती है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2024 में ख.नं. 6399/594 स्थगन से प्रभावित नहीं हैं। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, जबकि प्रार्थी पूनमचंद के नोटिस/सम्मन तामील करवाये गए, प्रार्थी के सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने रिव्यू प्रा0पत्र में जो आधार प्रस्तुत किये, वह अपील के आधार है, न कि रिव्यू के, इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र मैनटेनेबल नहीं हैं। इसलिए प्रार्थी का उक्त रिव्यू प्रा0पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के निर्णय, सिविल अपील सं0 1167–1170/2023 बअनवान एस0 मूरली सुन्दरम बनाम जोथीबाई कन्नन एवं अन्य दिनांक 24.02.2023 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 में यह कथन अभिलिखित है कि "Power of review may be exercised when some mistake or error apparent on the fact of record is found. But error on the face of record must be such an error which must strike one on mere looking at the record and would not require any long-drawn process of reasoning on the points where there may conceivably by two opinions" प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा, ऐसा कोई नया/विशेष तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 में प्रत्यक्ष त्रुटि होना परिलक्षित होता हो। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)